कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
सैक्टर–9 (ए) गुड़गांव (हरियाणा)–122001
आईएसओ (9001:2008) प्रमाणित
टेलीफैक्स : 0124-2255133 ई–मेल: ms-gurgaon@esic.nic.in
वेबसाइट: www.esic.nic.in

पुनः–निविदा सूचना

चिकित्सा अधीक्षक द्वारा **क.रा.बी.नि. अस्पताल सैक्टर–9ए, गुड़गांव** के लिए वर्ष **2011–12** हेतु नीचे दर्शाई गई मदों के संबंध में दर अनुबंध निर्धारित करने के लिए मुहरबंद निविदाएं पुनः आमंत्रित हैं:–

क्र.सं.	दर अनुबंध का नाम	अवधि	धरोहर राशि	निविदा खोलने की तिथि	निविदा प्रपत्र मूल्य
1.	स्टेशनरी मदों की प्रिंटिंग	1(एक) वर्ष	₹20,000/-	11.10.2011	₹100/-
2.	सब्जियां, फल, पनीर तथा अन्य मदें	1(एक) वर्ष	₹20,000/-	11.10.2011	₹100/-

विभिन्न मदों के लिए कार्यशर्तों सहित निविदा प्रपत्र **उप निदेशक (प्रशासन)** का कार्यालय, **क.रा.बी.नि. अस्पताल, गुड़गांव–122001** से किसी भी कार्यदिवस में **10.10.2011** तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे के बीच निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं। यह भुगतान डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में होना चाहिए और ये **''ईएसआई निधि खाता सं. 1''** के पक्ष में **गुड़गांव** में देय होना चाहिए। निविदा प्रपत्र क.रा.बी.नि. वेबसाइट **www.esic.nic.in** पर भी उपलब्ध हैं। वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने वाले विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से निविदा प्रपत्र मूल्य की राशि का भुगतान निविदा दस्तावेज के साथ डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में करना चाहिए। ये **''ईएसआई निधि खाता सं. 1''** के पक्ष में **गुड़गांव** में देय होना चाहिए। डिमांड ड्रॉफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में ऊपर बताई गई धरोहर राशि सहित पूर्ण निविदा दस्तावेज मुहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए और लिफाफे के ऊपर **''स्टेशनरी मदों के लिए निविदा''/''सब्जियों, फलों, पनीर तथा अन्य मदों के लिए निविदा''** लिखा होना चाहिए। धरोहर राशि **''ईएसआई निधि खाता सं. 1''** के पक्ष में **गुड़गांव** में देय होना चाहिए। मुहरबंद निविदाएं उप निदेशक (प्रशासन) के कार्यालय में रखी निविदा पेटी में **11.10.2011** को **अपराह्न 1:00 बजे** तक जमा कराई जा सकती है। निविदा **11.10.2011** को **अपराह्न 2.30 बजे** खोली जायेगी। यदि **11.10.2011** को अवकाश घोषित हो जाता है तो निविदाएं अगले कार्यदिवस को अपराह्न 2.30 बजे खोली जाएंगी।

अधोहस्ताक्षरी को अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताएं किसी अथवा सभी निविदाओं को रद्द कर दें।

टिप्पणी: निविदादाता जिन्होंने हमारे पहले निविदा सूचना दिनांक 23.06.2011 के संदर्भ में धरोहर राशि जमा कर दी है उन्हें दोबारा धरोहर राशि जमा करने से छूट है। मूल निविदा के अन्य नियम व शर्तें समान रहेंगी। हस्ता0/–

चिकित्सा अधीक्षक

ईएसआईसी – चिंता से मुक्ति **आईपी हमारा वीआईपी**